

भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण

“बीडा भवन” औराई रोड
भदोही-221401 (उ०प्र०)



दूरभाष : 05414-226610, 224593
E-mail: bidabhadohi@rediffmail.com

पत्र संख्या:बीडा/ बीडा/तकनीकी-दो / () / 23/

दिनांक.....

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
हिन्दी दैनिक “अमर उजाला” तथा
“राष्ट्रीय सहारा ”
वाराणसी।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र भदोही संस्करण में दिनांक 05.10.2023 तक विज्ञापित करते हुए विज्ञापन से सम्बन्धित बिल की दो प्रतियाँ तथा समाचार पत्र की तीन प्रतियाँ भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें। विज्ञापन कम से कम स्पेश में होना चाहिए।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,


(आर०डी० भारती)
कार्य० अधिशासी अभियन्ता

पत्र संख्या:बीडा/ बीडा/तकनीकी-दो / () / 23/1693

दिनांक 4-10-23

प्रतिलिपि: -

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, बीडा को सादर सूचनार्थ।
3. विज्ञापन पत्रावली में संलग्न करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. गार्ड पत्रावली कार्मिक अनुभाग।


04-10-23
(आर०डी० भारती)
कार्य० अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा)
भदोही, (उ०प्र०)

अति अल्प कालीन निविदा सूचना

भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1-कारपेट सिटी योजना में औद्योगिक भूखण्ड संख्या 58 से 81 तक दोनो पटरियों पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य 2- कारपेट सिटी योजना में सड़क की पटरी पर साफ-सफाई, डिवाडर पेन्टिंग इत्यादि का कार्य हेतु मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र बीडा कार्यालय से दिनांक 19.10.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे तक निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदाएं दिनांक 20.10.2023 को अपरान्ह 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, एवं प्राप्त निविदाएं उसी दिन सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण बीडा के वेबसाईट <http://www.bidabhadohi.com> पर अपलोड है।

Dowl
04-10-23

आर०डी० भारती
प्र० अधिशासी अभियन्ता


**कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा- भदोही
अति अल्प कालीन निविदा सूचना**

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबन्द निविदा निर्धारित प्रपत्र पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19.10.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे तक अपेक्षित मूल्य जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 20.10.2023 को अपरान्ह 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त निविदायें उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।

| क्र०सं 0 | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (जी०एस०टी० सहित) | धरोहर धनराशि | निविदा प्रपत्र मूल्य + जी०एस०टी० | कार्य करने की अवधि |
|-------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 | कारपेट सिटी योजना में औद्योगिक भूखण्ड संख्या 58 से 81 तक दोनों पटरियों पर इन्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य | 800223.00 | 80100.00 | 1000.00 + 180.00 G.S.T | 05 दिन |
| 2 | कारपेट सिटी योजना में सड़क की पटरी पर साफ-सफाई, डिवाडर पेन्टिंग इत्यादि का कार्य | 329664.00 | 33000.00 | 500.00 + 90.00 G.S.T | 05 दिन |

शर्त :-

- जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- निविदा केवल वे ही व्यक्ति/ फर्म ले सकते हैं जिनका सन्दर्भित कार्य की लागत हेतु निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण हो।
- स्टैम्प अधिनियम के अन्तर्गत अनुबन्ध करते समय नियमानुसार स्टाम्प पेपर भदोही से क्रय कर देना होगा। जिसकी सही होने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।
- आवंटित कार्य हर हालत में निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिज/ उप खनिज हेतु भुगतान की गयी रायल्टी के साक्ष्य हेतु एम.एम. 11 जिला खनिज कार्यालय भदोही से सत्यापित कराने के उपरान्त कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा उसकी कटौती बिल से करते हुए धनराशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी।
- धरोहर धनराशि प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ जमा होना अनिवार्य है। जिस निविदा की धरोहर धनराशि नहीं होगी उसको संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
- प्रत्येक कार्य की कम से कम 3 वैध निविदा प्राप्त होने पर ही विचार किया जायेगा।
- प्रत्येक सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने के पूर्व तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता की उपस्थिति में मौके की फोटोग्राफी कराकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बिना कारण बताये किसी एक या सभी निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।


59-10-23
(आर०डी० भारती)
प्र० अधिशासी अभियन्ता